



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
06/11/19	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री ध्रुव नारायण सुन्डी, पिता- स्व० ओड़ेया सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, थाना-मुफ्फासिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना- 649, खाता नं०- 07, प्लॉट नं०- 2118, रकवा- 0.11 एकड़ भूमि क्रेता श्री भगवान सुन्डी, पिता- श्री डोंगा सुन्डी, ग्राम- करकट्टा, थाना- मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम से खतियान में दर्ज है। अपने पिता दादा एवं पिता के मृत्यु के पश्चात् प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 774, दिनांक- 2.11.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री भगवान सुन्डी, पिता- श्री डोंगा सुन्डी, ग्राम- करकट्टा, थाना- मुफ्फासिल, के पास 7,97,500.00/- (सात लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सौ) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फासिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.20 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति प्रयाप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री ध्रुव नारायण सुन्डी, पिता- स्व० ओड़ेया सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, क्रेता श्री भगवान सुन्डी, पिता- श्री डोंगा सुन्डी, ग्राम- करकट्टा, थाना- मुफ्फासिल के पास 7,97,500.00/- (सात लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सौ) रुपये में मौजा- नरसन्डा, थाना- 649, खाता नं०- 07, प्लॉट नं०- 2118, रकवा- 0.11 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>स्वीकृति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	